

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,  
लखनऊ - 226010

सं0-168 /08/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2024-25/04-परीक्षा/2024

लखनऊ : दिनांक : 15 अक्टूबर, 2025

आवश्यक सूचना

आयोग की आवश्यक सूचना दिनांक 23.09.2025 द्वारा विज्ञापन संख्या-04-परीक्षा/2024, कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2023)/04 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के कुल रिक्त 417 पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये कुल 1680 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कटऑफ अंक मा० आयोग के अनुमोदनोपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया गया था कि प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह उक्त 1680 अभ्यर्थियों का अर्हता/अभिलेख परीक्षण दिनांक 30.10.2025 से आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। अर्हता/अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत सूचना पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) पद पर चयन के लिए अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित 1680 अभ्यर्थियों का अर्हता/अभिलेख परीक्षण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नानुसार आयोजित किया जाना निर्धारित है-

| क्र०सं० | दिनांक     | प्रथम पाली (पूर्वाह्न 10:00 बजे) अभ्यर्थियों की संख्या | द्वितीय पाली (अपराह्न 01:30 बजे) अभ्यर्थियों की संख्या | योग  |
|---------|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 1       | 30.10.2025 | 125                                                    | 125                                                    | 250  |
| 2       | 31.10.2025 | 125                                                    | 125                                                    | 250  |
| 3       | 01.11.2025 | 125                                                    | 125                                                    | 250  |
| 4       | 03.11.2025 | 125                                                    | 125                                                    | 250  |
| 5       | 04.11.2025 | 125                                                    | 125                                                    | 250  |
| 6       | 06.11.2025 | 125                                                    | 125                                                    | 250  |
| 7       | 07.11.2025 | 125                                                    | 55+ अनुपस्थित अभ्यर्थी                                 | 180  |
| योग     |            |                                                        |                                                        | 1680 |

अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य 04 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिये गए हैं। सम्बन्धित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट [upsssc.gov.in](http://upsssc.gov.in) पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए अपने अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य 04 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु अर्ह पाये गये समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अर्हता/ अभिलेख परीक्षण से पूर्व उनके समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता

*Abit*

*Divya*

*X*

के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों/ अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष समस्त अंकपत्र व प्रमाण पत्र, आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं उनकी छायाप्रतियों तथा पासपोर्ट साइज के 02 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किये गए अभिलेख परीक्षण पत्र व अन्य 04 प्रपत्रों की मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर, निर्धारित तिथि व समय पर अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अर्हता/ अभिलेख परीक्षण हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड इत्यादि) की मूलप्रति एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों।

उक्त के साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 07.11.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है तो सक्षम स्तर से अनुमति के उपरान्त उसे दिनांक 07.11.2025 की द्वितीय पाली (अपराह्न 1:30 बजे) में अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अर्हता/अभिलेख परीक्षण हेतु अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(अवनीश सक्सेना)

सचिव।

अति (Signature)